न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 28 / 2014 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. भीखा पुत्र फता उम्र 70 साल जाति मेगवाल निवासी गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	**बनाम**	1.बींजाराम पुत्र फताराम उम्र 67 साल जाति मेगवाल निवासी गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 2.तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 40 / 2014 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. भीखा पुत्र फता उम्र 70 साल जाति मेगवाल निवासी गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	**बनाम**	1.बींजाराम पुत्र फताराम उम्र 67 साल जाति मेगवाल निवासी गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 2.तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 402/2009 बअनवान बींजाराम बनाम भीखा वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.10.2012 व 13.02.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री गंगाराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 26.09.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता/वादी संख्या 01 व प्रतिवादी/अपीलांट सगे भाईयों की पैतृक खातेदारी भूमि वक्त सेटलमेंट के गांव भेडाणा गोलिया कल्ला वर्तमान राजस्व ग्राम सोनगिरी की ढाणी गोलिया के खसरा संख्या 213, 704, 145, 163, 165 व 195 रकबा 11.02 बीघा, 18.03 बीघा,13.16 बीघा, 33.10 बीघा, 51.13 बीघा, 23.16 बीघा कुल रकबा 152 बीघा है तथा वादी एवं प्रतिवादी ने बहामी व बंटवाड़ा से खेत खसरा संख्या 163, 165, 145 व 213 क्रमश रकबा 33.10 बीघा, 27.13 बीघा, 13.16 बीघा एवं 11.02 बीघा कुल रकबा 86.01 बीघा पर वादी का कब्जा एवं प्रतिवादी के खसरा संख्या 104, 196, 165 रकबा क्रमश 18.03 बीघा, 23.16 बीघा, 24 बीघा कुल रकबा 65.19 बीघा की रखी जाना वाद में कथन किया। वाद में अभिकथन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने 1/2 हिस्से में से खसरा संख्या 135 रकबा 26 बीघा का बेचान करना पुत्र जाला को करने से अन्य अवशेष खेतों में 65.19 बीघा अपीलांट संख्या 01 के रही एवं 86.

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

01 बीघा वादी/उतरदाता संख्या 01 के कब्जा काश्त की बहामी बंटवाड़ा अनुसार रही। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलकर्ता की ओर से कथित जबावदावा दिनांक 16.04.2010 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है कि अपीलकर्ता के कथित अंगुष्ठ निशान इबारत वकल वादी की कलमी है इसमे प्रमाणित है कि कपट पूर्वक जबाव पेश किया गया है। अपीलकर्ता के कथित अंगुष्ठ निशान फर्जी है क्योंकि जहां तक अपीलकर्ता को ज्ञान है अपीलकर्ता पर कोई दावा का नोटिस तामिल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आंक मुंदकर वादी के कथनों पर विश्वास करते हुए पारित की गई है जो न्यायसंगत नहीं है। दिनांक 30.05.2011 की आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं दिनांक 30.06.2011 के पी डब्लू 1 व पी डब्लू 2 के बयानों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भिन्न–भिन्न है। मौका रिपोर्ट एकपक्षीय एवं अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में तैयार हुई है तथा उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार जो मौका रिपोर्ट एवं नक्शा विभाजन तैयार किया गया है वह राजस्व नियमावली मण्डल के प्रावधानों के विपरित तैयार की गई है जो कतई विधि संगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाकर्ता की ओर से साक्ष्य हेतु अवसर भी नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जब पक्षकारों की विभिन्न खसरों में खातेदारी विलोपित की है लेकिन पत्रावली में विवाधक कायम तक नहीं किये गये है जबकि विवाधको की विरचना की जानी आवश्यक थी। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलकर्ता की ओर से कथित जबावदावा दिनांक 16.04.2010 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है कि अपीलकर्ता के कथित अंगुष्ठ निशान इबारत वकल वादी की कलमी है इसमे प्रमाणित है कि कपट पूर्वक जबाव पेश किया गया है। अपीलकर्ता के कथित अंगुष्ठ निशान फर्जी है क्योंकि जहां तक अपीलकर्ता को ज्ञान है अपीलकर्ता पर कोई दावा का नोटिस तामिल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आंक मुंदकर वादी के कथनों पर विश्वास करते हुए पारित की गई है जो न्यायसंगत नहीं है। दिनांक 30.05.2011 की आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हस्ताक्षर एवं दिनांक 30.06.2011 के पी डब्लू 1 व पी डब्लू 2 के बयानों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भिन्न–भिन्न है। मौका रिपोर्ट एकपक्षीय एवं अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में तैयार हुई है तथा उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार जो मौका रिपोर्ट एवं नक्शा विभाजन तैयार किया गया है वह राजस्व नियमावली मण्डल के प्रावधानों के विपरित तैयार की गई है जो कतई विधि संगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाकर्ता की ओर से साक्ष्य हेतु अवसर भी नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जब पक्षकारों की विभिन्न खसरों में खातेदारी विलोपित की है लेकिन पत्रावली में विवाधक कायम तक नहीं किये गये है जबकि विवाधको की विरचना की जानी आवश्यक थी। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं की उपस्थित में बनवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया फिर भी अपीलांट अपनी आपत्तियां को अधीनस्थ न्यायालय में प्रमाणित कर सके तो प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं वह न्यायायलय का विवके है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किये गये है। अपीलकर्ता को कुछ ही दिन पूर्व हुई जब उतरदाता संख्या 01 ने अपीलकर्ता के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करना शुरू किया तथा कुछ खेत खाली करने की धमकी दी तब अपीलांट ने अपने वकील से मिलकर दिनांक 12.03.2014 को नकल मांगी एवं नकल मिली तब धोखे से हासिल डिक्री की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में देरी सद्भाविक नहीं तथा अपीलांटगण/वादी को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पूर्व में ही जानकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

थी। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने एवं अधिक्ता अपीलांट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर नहीं दिया गया है। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। विभाजन प्रस्ताव बनाने से पूर्व अपीलांट/प्रतिवादी को कोई सूचना नहीं दी गई। विभाजन प्रस्ताव अपीलांटगण की उपस्थिति में नहीं बनाया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई है। बंटवारा **By Metes & Bounds** सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट/प्रतिवादी को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज पेश करने का अवसर नहीं दिया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुडामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 402/2009 बअनवान बींजाराम बनाम भीखा वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.10.2012 व 13.02.2014 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस पुनः निर्णय पारित करे।

(नाथूसिंह सोढ़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner